भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2816

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024

एमएसएमई द्वारा निर्यात सृजन

2816. श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) निर्यात संवर्धन योजना के माध्यम से एमएसएमई की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई निर्यात संवर्धन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) एमएसएमई को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा शुरू किए गए निर्यात का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**एमएसएमई द्वारा निर्यात का मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**
2021-22	190019.21
2022-23	196635.62
2023-24	199718.29

(ख) से (घ) : एमएसएमई को वैश्विक बाजार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में कठिनाइयां, प्रमाणन, सीमित वित्तीय पहुंच, अत्यधिक शिपिंग लागत और परिवहन में देरी शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना। इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- **बाजार विकास सहायता:** इस घटक के अंतर्गत एमएसएमई को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में उद्योग/सरकारी संघों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडलों में प्रदर्शनी-कर्ता के रूप में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **पहली बार निर्यात करने वालों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई):** यह 3 वर्ष से कम अवधि के आईईसी कोड/पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को भुगतान किए गए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी) शुल्क/फीस, निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) को भुगतान किए गए निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।

ii. देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजार में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। इनमें उपलब्ध योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार, निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, उपयुक्त बाजारों की पहचान करने, प्रतिस्पर्धी ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों से जुड़ने और प्रौद्योगिकी अपनाने पर मार्गदर्शन प्रदान करने में भी सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई निर्यात संवर्धन के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधि**	**उपयोग की गई निधि**
		(करोड़ रु. में)
2021-22	3.6502	3.6302
2022-23	17.2054	17.1854
2023-24	26.3734	26.2834

*****